प्रपत्र 5: आधार नामांकन और अद्यतन
(क) निवासी भारतीय बालक/बालिका, या (ख) भारत में पते के प्रमाण वाले अनिवासी भारतीय बालक/बालिका (5 वर्ष से कम आयु) के लिए

कृपया इस प्रपत्र के नीचे दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करें और केवल स्पष्ट अक्षरों का प्रयोग करें।

1	**प्रयोजन:** ☐ नामांकन या ☐ अद्यतन
2	**निवास की स्थिति**: ☐ भारतीय निवासी या ☐ अनिवासी भारतीय *(एनआरआई) {इस प्रपत्र के नीचे दी गई घोषणा के पैरा 1(ग) को देखें}*
3	**जनसांख्यिकीय सूचना** *(अद्यतन के लिए, केवल अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना ही भरें):*
	(क) नाम: *{कृपया नाम को किसी शीर्षक, आदरसूचक और उपनाम के बिना, पीओआई दस्तावेज में दिए गए अनुसार भरें}*
	(ख) लिंग: ☐ महिला ☐ पुरुष ☐ तृतीय लिंग / परलैंगिक *(ट्रांसजेंडर)*
	(ग) जन्म तिथि: ☐☐☐☐☐☐☐☐ (DDMMYYYY) या **आयु:** ☐☐☐ वर्ष ☐ सत्यापित या ☐ घोषित या ☐ अनुमानित *(केवल आयु के लिए)* *(घोषित या अनुमानित के लिए, आधार कार्ड पर केवल घोषित/अनुमानित जन्म का वर्ष मुद्रित किया जाएगा)*
	(घ) ईमेल:
	(ङ) मोबाइल नंबर: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
4	**नामांकन/अद्यतन का आधार:** ☐ दस्तावेज सत्यापन या ☐ परिवार के मुखिया *(एचओएफ)* द्वारा पुष्टि
5	**दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतन के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज:** *(पते की सूचना केवल नामांकन या पते के अद्यतन के मामले में भरी जानी चाहिए)*
	(क) पता:
	मकान नं. / भवन / फ्लैट नं.:
	सड़क:
	लैंडमार्क:
	वार्ड नंबर:
	क्षेत्र / इलाका / सेक्टर:
	गांव/नगर/शहर:
	डाकघर *(अनिवार्य)*:
	पिन कोड *(अनिवार्य)*: ☐☐☐☐☐☐
	उप-जिला:
	जिला:
	राज्य:
	(ख) प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार: *(यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)* (i) पहचान का प्रमाण *(पीओआई)*: (ii) पते का प्रमाण *(पीओए)*: (iii) जन्म तिथि का प्रमाण *(पीडीबी) (वैकल्पिक)*:
6	***एचओएफ*-आधारित नामांकन या पता अद्यतन के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज:**
	(क) *एचओएफ का विवरण*:
	(i) बालक/बालिका के माता का नाम: — आधार नंबर: ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐
	और/या
	(ii) बालक/बालिका के पिता का नाम: — आधार नंबर: ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐
	(iii) यदि माता-पिता में से किसी एक का विवरण दिया गया है, तो क्या वर्तमान में माता-पिता में से कोई बालक/बालिका के साथ नहीं रह रहा है: ☐ हां ☐ नहीं
	या
	(iv) कानूनी सरंक्षक का नाम: — आधार नंबर: ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐
	(v) बालक/बालिका से संबंध: ☐ माता और/या ☐ पिता या ☐ कानूनी सरंक्षक
	(ख) संबंध के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज के प्रकार: *(यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)*
	मैं/हम ऊपर नामित बालक/बालिका की पहचान और वह मुझसे/हमसे कथित अनुसार संबंधित है इसकी पुष्टि करती/करता/करते हूँ/हैं। मैं/हम एतद्द्वारा सहमति देती/देता/देते हूँ/हैं कि मेरी, या हम दोनों में से किसी एक की, बायोमेट्रिक सूचना का उपयोग बायोमेट्रिक-आधारित अधिप्रमाणन के जरिए हम में से एक की पहचान स्थापित करने के लिए किया जाए, और यह कि अधिप्रमाणित आधार नंबर के विरुद्ध दर्ज पते को बालक/बालिका के आधार नंबर के विरुद्ध पते के रूप में दर्ज किया जाए।
	हस्ताक्षर: — माता: — और/या पिता: — या कानूनी सरंक्षक:
7	**अद्यतन के लिए, अतिरिक्त सूचना:**
	(क) बालक/बालिका का आधार नंबर: ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐
	(ख) अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना: ☐ बायोमेट्रिक (फोटो) ☐ नाम ☐ जन्म तिथि ☐ लिंग ☐ पता ☐ मोबाइल ☐ ईमेल ☐ पीओआई और पीओए दस्तावेजों का अद्यतन

घोषणा

1. मैं/हम एतद्द्वारा पुष्टि और घोषणा करती/करता/करते हूँ/हैं कि—
   (क) प्रस्तुत की गई सभी सूचना और दस्तावेज मेरी/हमारी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं;
   (ख) मैं/हम और बालक/बालिका उपरोक्त दस्तावेजों/सबूतों को साक्ष्यित करने वाली सूचनाओं के हकदार हैं; और
   (ग) बालक/बालिका भारत का/की निवासी (मेरे नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत) है या वह एक अनिवासी भारतीय (वैध भारतीय पासपोर्ट धारक नागरिक जो भारत का निवासी नहीं है) है।
2. मैं/हम समझती/समझता/समझते हूँ/हैं कि यदि उपरोक्त घोषणा गलत पाई जाती है, तो बालक/बालिका का आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सकता है और, इसके अतिरिक्त, मेरे/हमारे विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
3. मैं/हम समझती/समझता/समझते हूँ/हैं कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार उपरोक्त सूचना उपयोग, प्रकट या साझा की जा सकती है।
4. मैं/हम पहचान, पता, जन्म और/या संबंध के प्रमाण को साक्ष्यित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से अभिप्राप्त करने और उपरोक्त सूचना तथा दस्तावेजों को सरकारी एजेंसियों और/या किसी ऐसे प्राधिकारी से, सत्यापन के प्रयोजन के लिए, साझा करने हेतु एतद्द्वारा अपनी सहमति देती/देता/देते हूँ/हैं।
5. मैं/हम आधार (सूचना की सहभाजिता) विनियम, 2016 के विनियम 3 के उप-विनियम 6 के संदर्भ मे, आधार नंबर को सृजन उपरांत, संबंधित जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार के साथ साझा करने के लिए अपनी सहमति देती/देता/देते हूँ/हैं।

हस्ताक्षर:	माता:	और/या पिता:	या कानूनी संरक्षक:
सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर:	सत्यापनकर्ता का नाम:	तारीख और समय:	

प्रपत्र 5 भरने के लिए अनुदेश

क्र.सं.	मद	अनुदेश	अनिवार्य या वैकल्पिक
1	प्रयोजन	कृपया केवल एक, यथा लागू, पर सही (✔) का निशान लगाएं।	अनिवार्य
2	निवास की स्थिति	कृपया केवल एक, यथा लागू, पर सही (✔) का निशान लगाएं।	अनिवार्य
3	*जनसांख्यिकीय सूचना:*		
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द (श्री, कुमारी, सुश्री, थिरु आदि) और उपनाम (उर्फ, ए. के. ए. आदि) को छोड़ दें, भले ही दस्तावेज में यह आता हो।	अनिवार्य
(ख)	जन्म तिथि *(डीओबी)* या आयु	(1) कृपया जैसा लागू हो, *डीओबी* या आयु का ब्यौरा भरें। (2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जो लागू हो, केवल एक पर सही(✔) का निशान लगाएं। (3) यदि जन्म तिथि का सबूत *(पीडीबी)* उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो "सत्यापित" पर सही का निशान लगाएं। (4) यदि बालिका/बालक का जन्म 1 अक्तूबर, 2023 को या इसके बाद हुआ तो जन्म तिथि के लिए जन्म प्रमाण-पत्र एक मात्र सबूत होगा। (5) यदि पीडीबी उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि (डीओबी) या अनुमानित आयु दे सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	अनिवार्य
(ग)	लिंग	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही (✔) का निशान लगाएं।	अनिवार्य
(घ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	*एनआरआई* के लिए अनिवार्य
(ङ)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) अभारतीय मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई *एसएमएस/टेक्स्ट* संदेश नहीं भेजा जाएगा।	वैकल्पिक
4	नामांकन/अद्यतन का आधार	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही (✔) का निशान लगाएं।	अनिवार्य
5	*दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतन के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज:*		
(क)	पता	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) पिन कोड और डाकघर अनिवार्य हैं। (3) ग्राम/नगर/शहर, उप-जिला, जिला और राज्य को नामांकन सॉफ्टवेयर द्वारा पिन कोड के आधार पर स्वत: प्रविष्ट किया जाएगा। (4) *पीओए* दस्तावेज में दिए गए पते से भरे गए पते में मामूली बदलाव की अनुमति दी जा सकती है। (5) आधार पत्र को भारतीय डाक के माध्यम से भरे गए पते पर भेजा जाएगा। (6) यदि बालक/बालिका *एनआरआई* है और उसके पास भारत में रहने के पते के लिए *पीओए* नहीं है, तो कृपया प्रपत्र 6 का उपयोग करें।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार *यूआईडीएआई* की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए।	अनिवार्य

		(2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा। (3) *एनआरआई* के लिए, केवल वैध भारतीय पासपोर्ट ही स्वीकार्य *पीओआई* है।	
6	*एचओएफ आधारित नामांकन या-पता अद्यतन के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :*		
(क)	*एचओएफ* के ब्यौरे	(1) कृपया (i) और (ii) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया (iii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही (✔) का निशान लगाएं। (3) कृपया (iv) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें। (4) कृपया (v) में, जो लागू हो, सही (✔) का निशान लगाएं। (5) *एचओएफ*-आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना अद्यतन के लिए, *एचओएफ* 18 वर्ष या अधिक आयु का और बालक/बालिका की माता, पिता या कानूनी संरक्षक होना चाहिए।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत संबंध का प्रमाण *(पीओआर)* दस्तावेज का प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार *यूआईडीएआई* की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	अनिवार्य
7	*अद्यतन के लिए, अतिरिक्त सूचना:*		
(क)	बालक/बालिका का आधार नंबर	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ख)	अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना	कृपया एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य

नामांकन केंद्र पर नामांकन और अद्यतन सेवाओं के लिए फीस

क्र.सं.	सेवा	फीस
1.	नामांकन	नि:शुल्क
2.	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिस) का अद्यतन	(क) यदि 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है: नि:शुल्क (ख) यदि 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है: नि:शुल्क (ग) यदि अन्यथा किया गया है: *₹100*
3.	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पता) का अद्यतन	(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतन के समय ही किया गया है: नि:शुल्क (केवल बायोमेट्रिक अद्यतन के लिए शुल्क लागू होगा) (ख) यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है: *₹ 50*
4.	*पीओआई* और *पीओए* दस्तावेजों (पता और पहचान का प्रमाण का साक्ष्य) का अद्यतन	*₹50*